न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
05/2018	2018/00093	16.08.2018	12.02.2021

1. श्री मोहम्मद हारून पुत्र श्री मोहम्मद मुसलमान, निवासी बागरिया तहसील प्रतापगढ़

:– प्रार्थी/अपीलार्थी

–: बनाम :–

2. श्री मोईनुद्दिन पुत्र श्री नूर मुसलमान निवासी बागरिया तहसील प्रतापगढ़

:– अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री महमुद शेख प्रार्थी/अपीलार्थी
2. श्री गोपाल तंबोली अप्रार्थी/विपक्षी

दिनांक 12.02.2021

–: आदेश :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बरोठा तहसील प्रतापगढ़ की आराजी संख्या 415/1129 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि विपक्षी श्री मोईनुद्दिन पुत्र श्री नूर मुसलमान निवासी बागरिया को राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 11.06.1989 को आवंटित की गई।

किन्तु उक्त भूमि रकबा 0.58 हैक्टर भूमि के उत्तर दिशा कि ओर लगभग 0.20 हैक्टर भूमि पर वक्त आवंटन से प्रार्थी/अपीलार्थी का कब्जा काश्त होकर उक्त भूमि रकबा 0.20 हैक्टर आदिनांक तक आवंटी के कब्जे–काश्त में नहीं रही है इसलिए आवंटी को आवंटित भूमि रकबा 0.58 हैक्टर में से उत्तर दिशा कि ओर 0.20 हैक्टर तक का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षी कि ओर से अधिवक्ता श्री गोपाललाल तंबोली उपस्थित हो प्रकरण में दिनांक 08.07.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है, जवाब विपक्षी/अप्रार्थी अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर पर वक्त आवंटन पूर्व से ही प्रार्थी/अपीलार्थी का ही कब्जा है और रहा है आवंटी/विपक्षी का उक्त भूमि रकबा पर कभी कब्जा नहीं रहा है अतः उक्त रकबा क्षेत्रफल तक आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र के क्रम में आवंटी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब के क्रम में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.10.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत् पर्चा मौका रिपोर्ट हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार प्रतापगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई उक्त क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.02.2020 के अनुसार भी आवंटी को आवंटित भूमि रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर भूमि पर आवंटी के बजाय प्रार्थी/अपीलार्थी का ही कब्जा है। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस वकील प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा जवाब आवंटी/विपक्षी एवं रिपोर्ट तहसीलदार, प्रतापगढ़ में वर्णित कथनों को दोहराते हुए आवंटी को आवंटीत भूमि रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर तक आवंटन निरस्ती की मांग को जायज बताते हुए उस सीमा तक आवंटन विरूद्ध अपील स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

इसी प्रक्रम में दौराने बहस वकील विपक्षी द्वारा भी प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा जवाब आवंटी/विपक्षी एवं रिपोर्ट तहसीलदार, प्रतापगढ़ में वर्णित कथनों को दोहराते हुए आवंटी को आवंटीत भूमि रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर तक आवंटन निरस्ती की मांग को स्वीकार करते हुए प्रकरण मेरिट आधार पर निर्णित फरमाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 26.07.2018 व जवाब विपक्षी दिनांक 08.07.2019 एवं रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 10.02.2020 तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित कथनों एवं तथ्यों के संबंध में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ अनुसार विपक्षी/आवंटी को आवंटित भूमि राजस्व ग्राम बरोठा तहसील प्रतापगढ़ की आराजी संख्या 415/1129 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि में से उत्तर दिशा की 0.20 हैक्टर भूमि वक्त आवंटन पूर्व से अन्य व्यक्ति के अनाधिकृत कब्जे–काश्त भूमि रकबा होने से वक्त आवंटन आवंटी को आवंटित रकबा 0.58 के बजाय 0.38 हैक्टर तक ही आवंटन किया जाना उचित रहा है किन्तु वक्त आवंटन उक्त तथ्य कि भूल के कारण आदिनांक तक मौके पर विवाद्यक स्थितियों का समावेश है जिसके निस्तारण के लिए अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र उस स्तर तक स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ द्वारा जरिये मिशल संख्या 907/89 दिनांक 01.06.1989 द्वारा आवंटी के पक्ष में आवंटित भूमि राजस्व ग्राम बरोठा तहसील प्रतापगढ़ की आराजी संख्या 415/1129 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि में से 0.20 हैक्टर भूमि तक का आवंटन निरस्त किया जाता है उक्त भूमि रकबा राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज की जावें अवशेष आवंटन यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12·2·21 को सरे इजलास सूनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।

12/2/21

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner